फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री कुका | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. | **पत्रावली संख्या : 117/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प खेमली में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शा.फा. रहे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम उंकार डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादीगण के पिता का नाम लोगर अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादीगण के पिता का नाम लोगर होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के पिता का नाम लोगर होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 181, 182 किता 2 रकबा 6 बिस्वा भूमि में खातेदार कुका, कनीराम पिता उंकार के बजाय कुका, कनीराम पिता लोगर उर्फ उंकार डांगी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 117/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00253

उनवान

1. श्री कुका पिता लोगर डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
2. श्री कनीराम पिता लोगर डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।

........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 181, 182 किता 2 रकबा 6 बिस्वा भूमि में खातेदार कुका, कनीराम पिता उंकार के बजाय कुका, कनीराम पिता लोगर उर्फ उंकार डांगी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested